न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सुनील कुमार बनाम श्रीप्रकाश मलिक;

मामला संख्या / वर्ष : / 20

दावा. प्रकी. ...

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
आज्ञाप्त	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र बाबत विड्रो किए जाने वाद-पत्र एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-151 सी० प्र०सं०, दिनांक 3/1/25 को पेश हो। ह० सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	
03/01/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी है। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर है। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र बाबत विड्रो किए जाने वाद-पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थीगण ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में कथन किया है कि वे वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है। आदेश-23 नियम-1, सिविल प्रक्रिया ह०	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sh
Date: 2025.05.14 14:20:34 I
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सुनील कुमार बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : दावा-[illegible] /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	03.11.25	संहिता - 1908 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वादी, वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय अपने वाद का प्रत्याहरण कर सकता है। वादी/प्रार्थीगण का वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। अतः आदेश -23 नियम-1 सि० प्र० सं० के तहत एवं प्रार्थी द्वारा पेश प्रा० पत्र के आधार पर वादी के दावे को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी का विड्रो प्रा० पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा इन्हीं पक्षकारों के मध्य एवं समान अनुतोष पर पुनः वाद पेश किया जाता है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita
Date: 2025.05.14 14:20:3
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

ालय — सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सुनील कुमार बनाम ओंकार [illegible]

दमा संख्या / वर्ष : दावा · 46/2024 / 20

10	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/01/25	इस प्रा०पत्र पर आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। द्वितीय, प्रार्थी द्वारा यह प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारों के पक्षान्तरण के लिए विधि में सुस्थापित प्रावधान है। अतः धारा-151 सि०प्र०सं० में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी के प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा-151 सि०प्र०सं० पर Scope से बाहर होने के कारण एवं वादी का वाद विड्रा हो जाने के कारण, कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।	

कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:20:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सुनील कुमार बनाम ~~[illegible]~~

मुकदमा संख्या/वर्ष : दावा - 46/2024 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	03/01/25	तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि ₹ 5000/- जमा करवाने के पश्चात् ही पुनः नया दावा पेश करने की अनुमति होगी। प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-151, सि० प्र० सं., पर गहनतापूर्वक विचार करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा मुख्यतः वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी/प्रार्थी को वादी संयोजित कर वाद में अग्रिम कार्यवाही किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रथम ~~व~~ प्रथमतः वादी का दावा विद्रो हो गया है तो अब	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sa
Date: 2025.05.14 14
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम

सुनील कुमार बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : दावा - 46/2024 / 20

क्र0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/01/25	वादी का विड्रो प्रा०पत्र स्वीकार होने से, दावा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:20:34 IST
Reason: SelfAttested